उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय-9

विविध

61(क) सहकारी समितियों के स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयोग जनपद/मण्डल/समिति या समितियों हेतु निर्वाचन पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है।

(ख) सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक के अधिकार एंव कर्तव्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश बाध्यकारी होंगे।

62- सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त किसी भी निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी/गणना अधिकारी को यात्रा भत्ता उनके अपने मूल विभाग के बजट से देय होगा।

63- किसी सहकारी समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन कराये जाने हेतु किसी व्यक्ति विशेष, जिसे आयोग द्वारा अधिकृत किया गया हो, समुचित रीति से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने में आवश्यकतानुसार, प्रशिक्षण एवं निर्वाचन सामग्री पर लघु व्यय किया जाता है, तो उस व्यय की प्रतिपूर्ति, जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी।

64. क- किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण आयोग द्वारा, विशेष या सामान्य आदेश से अवधारित किया जायेगा और यह धनराशि उस सहकारी समिति, जिसका निर्वाचन किया जाना है, की निधि से देय होगी।

ख- सम्बन्धित सहकारी समिति का सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का कर्तव्य होगा कि उक्त धनराशि आयोग द्वारा नियत् बैंक खाता में जमा करेगा और खण्ड (क) में अवधारित शुल्क जमा करने का प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए निर्वाचन कराने का अनुरोध करेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि अवधारण शुल्क जमा न होने की स्थिति में सहकारी समिति का निर्वाचन नहीं कराया जायेगा और ऐसी स्थिति में निर्वाचन न हो पाने हेतु सम्बन्धित विभाग का सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगा।

65- सहकारी समितियों के निर्वाचन नियत रीति एवं निष्पक्ष रूप से कराये जाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा सहकारी निर्वाचन आचार संहिता प्रख्यापित की जा सकती है जो किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गो हेतु निर्वाचन दिनांक अधिसूचित होने की तिथि से आयोग द्वारा नियत किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों या प्राधिकारी या प्राधिकारियों पर आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रभावी रहेगी।

66- निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन से सम्बन्धित सभी अधिकारी/ कर्मचारी आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन हांेगे।

67- इस नियमावली में निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्राविधान के सम्बन्ध में संशय की स्थिति में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

68- सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसा कोई विषय जिसके सम्बन्ध में नियमों में कोई स्पष्ट प्राविधान उल्लिखित न हो तो ऐसे में आयोग के दिशा-निर्देश लागू होंगे।

69- यदि आयोग के संज्ञान मंे कोई ऐसा सन्दर्भ लाया जाता है, जो इस नियमावली के किसी प्राविधान/उपबन्ध से आच्छादित न हो तो ऐसे प्रकरण पर आयोग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा, जो अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

70- इस नियमावली के प्राविधानों के असंगत किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के प्राविधान ही प्रभावी होंगे।